दिनांक 28.09.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञदेव भट्ट प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त मय सी0ली0ए0डी0सी0 श्री कमल प्रसाद बमराड़ा उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली आज मध्यस्थ की आख्या हेतु नियत है। मध्यस्थ श्री राजकुमार बत्रा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद में मध्यस्थता की कार्यवाही पक्षकारगण के परिस्थितियों के मध्यनजर सफल होने की संभावना प्रकट करी गयी व मघ्यस्थता सफल होने की प्रबल संभावना को देखते हुये समय विस्तार करने की प्रार्थना करी गयी। सुना। मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में
वर्णित अभिकथनों के दृष्टिगत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु अगली नियत तिथि तक का समय प्रदान किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वाद की प्राचीनता एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मध्यस्थता हेतु अगली नियत तिथि के उपरांत समय विस्तार नहीं किया जायेगा।

पत्रावली वास्ते मध्यस्थता की केन्द्र पौड़ी गढ़वाल की आख्या/अग्रिम आदेश दिनांक 23.10.2024 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।